

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर घड़साना
 अभिलाषा आर.ए.एस. कैम्प कोर्ट : ग्राम पंचायत (मुक्क)

प्रशासन गांवों के संग
 अभियान 2021

-: आदेश :-

दिनांक :

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र एवं पटवारी हल्का (मुक्क) एवं भू-अभिलेख निरीक्षक (मुक्क) की रिपोर्ट तथा तहसीलदार (मुक्क) / नायब तहसीलदार (मुक्क) की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम (मुक्क) तहसील (मुक्क) जिला श्रीगंगानगर की जमाबंदी सम्वत् 2021 में खाता सं. 13 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र. सं.	ग्राम का नाम	खाता सं.	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश(शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी हैं।)
1	2	3	4	5
1	3MLK (D)	13	पावती चण्डि राष्ट्रराज नाईशा 1MLK खाते सं. 25 SBOT 211A (A0B) पुष्क दरमाना	25 SBOT 911A (A0B) पुष्क दरमाना

(अभिलाषा)
 उपखण्ड अधिकारी
 घड़साना

क्रमांक/रीडर/प्र.गां.सं.अ./2021/4381-83 दिनांक : 18-1-21
 प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार घड़साना/रावला को भेजकर लेख हैं कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करें।
2. प्रार्थी श्री (पुष्क) को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

उपखण्ड अधिकारी
 घड़साना